न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 50/2009

1. जानकी देवी बेवा प्रेमप्रकाश
2. पूनम पुत्र श्री प्रेमप्रकाश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता –मु0 जानकी देवी बेवा प्रेमप्रकाश
   समस्त जाति बोहरा पालीवाल निवासीगण ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
3. श्री शिवचरण पुत्र श्री मोहनलाल जाति बोहरा पालीवाल निवासी लोढ़ा चौक, केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

1. श्रीमति मनभर बेवा श्री घीसा (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1 श्री रामनारायण पुत्र श्री घीसा
1/2 सुमित्रा पुत्री श्रीमति मनभर
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

2. श्री हंसराज पुत्र श्री जगदीश (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1 श्रीमति एजन पत्नी श्री हंसराज
2/2 श्री शिवराज
2/3 श्री राजाराम
2/4 श्री केदार
2/5 श्री आसराम
पुत्रगण श्री हंसराज
2/6 आशा
2/7 फोरन्ना
पुत्रियां श्री हंसराज
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

3. श्री रामेश्वर
4. श्री सीताराम
5. श्री बैजनाथ
6. श्री कैलाश
   पुत्रगण श्री जगदीश
7. श्रीमति बदामी पत्नी श्री रामचन्द्र
8. श्री देवकरण
9. श्री लालाराम
   पुत्रगण श्री रामचन्द्र
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

10. राजस्थान सरकार
11. श्रीमति नारायण
12. श्रीमति नर्बदा
13. श्रीमति कमला
    पुत्रियां श्री मोहनलाल
14. श्री गोपाल लाल
15. श्री सत्यप्रकाश
    पुत्रगण श्री मोहनलाल समस्त जाति बोहरा पालीवाल निवासी लोढ़ा चौक केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
16. श्रीमति ललता देवी पत्नी श्री सत्यनारायण जाति जाट निवासी ग्राम केकड़ी जिला अजमेर।

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–1. श्री खड़ग सिंह, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री अजित सिंह राठौड़, वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक 13.07.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम व तहसील केकड़ी स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 532 किता–7 कुल रकबा 5.78, खाता संख्या 533 किता 2 कुल रकबा 0.14 व खाता संख्या 1061 खसरा नम्बर 3522 रकबा 0.06 गैर मुमकिन चाह के सहखातेदार श्री कल्याण पुत्र श्री धन्ना जाति जाट निवासी मण्डा इलाका जूनियां की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार केकड़ी ने सरपंच ग्राम पंचायत मोलकिया द्वारा प्रमाणित सजरे के आधार पर मृतक की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1177 दिनांक 16.12.2004 से मुस्मात मनभर पत्नी श्री घीसा जाति जाट निवासी ग्राम मण्डा तहसील केकड़ी के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार केकड़ी द्वारा स्वीकृत इसी आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 1177 दिनांक 16.12.2004 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। अपील के विचाराधीन रहते रेस्पान्डेन्ट संख्या 1 से 3 व 12 की मृत्यु हो जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 12 का नाम तर्क कर व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 के वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया तथा रेस्पोप्डेन्ट संख्या 16 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 स्वीकार कर रेस्पोन्डेन्ट के रूप में पक्षकार बनाया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 ने मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील बाद मियाद पेश की गई है अतः अपील अपीलान्ट्स मियाद बाहर होने से

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

निरस्त की जावें। वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 द्वारा प्रस्तुत तर्को का विरोध करते हुए वकील अपीलान्ट्स ने हमारा ध्यान धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व उन्हें न तो नोटिस जारी किया गया न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय आदेश की जानकारी सर्वप्रथम उन्हें पटवारी हल्का से दिनांक 08.06.2006 को हुई है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद मानकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित की जावे। हमनें उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर ध्यानपूर्वक मनन किया। न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुये व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट्स व रेस्पोन्डेन्टस को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गैर कानूनी तरीके से मृतक श्री कल्याण की विरासत उसकी पुत्रवधु मनभर के नाम स्वीकृत कर दी है जो निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 1984 पेज 111 व आर.आर.डी. 1995 पेज 772 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। उनका कथन है कि विवादित भूमि कल्याण के पूर्वज सवाई राम पुत्र श्री भुवाना जाट निवासी खेड़ावा ने 100/– रूपये में अपीलान्ट के पूर्वज वैद्यनाथ व कालूराम पुत्रगण खेतीदास पालीवाल बोहरा के यहां दिनांक 30.01.1889 को रहन रखी थी। इसी प्रकार एक अन्य रहन श्रीमति नोली बेवा बैद्यनाथ जाट व बालू पुत्र बैद्यनाथ जाट ने अपीलान्ट के पूर्वज बैद्यनाथ बोहरा पालीवाल व कालूराम बोहरा पुत्रगण खेतीदास के यहां 100/– रूपये में दिनांक 22.02.1998 को रजिस्टर्ड रहन दस्तावेजों के द्वारा गिरवी रखी थी व उस समय के कानून के अनुसार रहन छुड़वाने की मियाद ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1882 के प्रावधानों के अनुसार भोगलाभ रहन को मुक्त कराने की मियाद 60 वर्ष थी, तत्समय राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू नहीं था, इस प्रकार रहन छुड़वानें की मियाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी अतः राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में दी गई मियाद अपीलान्ट के रहन पर लागू नहीं है। उनका आगे कथन है कि दिनांक 26.01.1949 व 26.02.1958 की तारीख के पश्चात् रहन छुड़वानें का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार न तो था तथा न ही अब है चूंकि उस समय के कानून के अनुसार रहन छुड़वाने की मियाद समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद मृतक श्री कल्याण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा था। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि राजस्व रेकार्ड को दुरस्त करवाने हेतु अपीलान्ट्स द्वारा एक दावा सक्षम

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जाकर विक्रेता द्वारा पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त किया जा चुका है तथा विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में क्रेता के नाम दर्ज हो चुकी है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपीलान्ट्स को अपील पेश करने का कोई LOCUS ही नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स निरस्त की जावें।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम केकड़ी स्थित विवादित भूमि के रेकार्डेड सहखातेदार श्री कल्याण पुत्र श्री धन्ना जाट की मृत्यु पश्चात् मृतक की विरासत का आक्षेपीय नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है जबकि विवादित भूमि के संबंध में अपीलार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के न्यायालय समक्ष राजस्व वाद विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश जारी किये हुये है इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो विधि विरूद्व है। नामान्तरकरण कार्यवाही Piscal Proceeding मात्र है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार तय नहीं किये जा सकते। जब सक्षम न्यायालय में नियमित राजस्व वाद विचाराधीन हो तो नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.07.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner